




न्यायालय,समाहर्ता,अररिया

बटाईदारी अपील संख्या-14/2018-2019

- (1) शैला सोरेन, पिता-मुचिया सोरेन
सा0-मधुरा गोलाबाड़ी, वार्ड नं0-07, थाना+अंचल-फारबिसगंज
जिला-अररिया.....अपीलकर्ता

बनाम

- (1) दुर्गानन्द ठाकुर, पिता-स्व0 महानन्द ठाकुर
(2) कालिका नंद ठाकुर, पिता-स्व0 महानन्द ठाकुर
(3) विवेका नंद ठाकुर, पिता-स्व0 महानन्द ठाकुर
(4) अम्बिकानंद ठाकुर, पिता-स्व0 महानन्द ठाकुर
(5) जितेन्द्र ठाकुर, पिता-स्व0 भोगानंद ठाकुर
(6) कन्हैया ठाकुर, पिता-स्व0 भोगानंद ठाकुर
(7) फिरोज, पिता-बिलाटी
सा0+पो0-रमई, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया.....विपक्षी संख्या-01
(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया
जिला-अररिया.....विपक्षी संख्या-02

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
09.03.2021	<p>अपीलकर्ता की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर भी अपीलकर्ता अनुपस्थित है। अपीलकर्ता दिनांक 15.10.2019 से लगातार अनुपस्थित है। अपीलकर्ता को दिनांक 23.02.2021 को अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद आज भी अपीलकर्ता अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अब इस वाद में कोई रुची नहीं रह गया है।</p> <p>तदनुसार वाद के गुण-दोष पर विचार किये बिना वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  समाहर्ता, अररिया </p> <p align="center">  समाहर्ता, अररिया </p> <p align="center"> ज्ञापांक.....1154...../विधि, अररिया, दिनांक.....19.4...../2021 </p> <p>प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p align="right">  प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि प्रशाखा, अररिया </p>	